

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-29/2020/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/11/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-चांपा वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.685 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) का पत्र क्र./मू-प्रबंध/विविध-1 ए./115-839/1852, रायपुर दिनांक 19.10.2020।

—000—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	सक्ति	सोनगुड़ा	आरक्षित वन	40	1457.803	0.5	0.073
2			सक्ति	देवरी	आरक्षित वन	28	760.226	0.5	0.038
3			सक्ति	रैनखोल	आरक्षित वन	32	676.595	0.5	0.034
4			सक्ति	रैनखोल	आरक्षित वन	35	3962.989	0.5	0.198
आरक्षित वन भूमि का योग							6857.613	0.5	0.343
5	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	बालोदा	कटघरी	संरक्षित वन	131	175.253	0.5	0.009
6			बालोदा	कटघरी	संरक्षित वन	133	1960.729	0.5	0.098
7			बालोदा	अमलीपाली	संरक्षित वन	129	214.243	0.5	0.011
8			बालोदा	अमलीपाली	संरक्षित वन	173	414.738	0.5	0.021
9			बालोदा	अमलीपाली	संरक्षित वन	126	570.75	0.5	0.028
10			बालोदा	अमलीपाली	संरक्षित वन	127	578.21	0.5	0.029
11			बालोदा	परसाही	संरक्षित वन	110	355.825	0.5	0.018
12			बालोदा	परसाही	संरक्षित वन	111	1102.855	0.5	0.056

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्षा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
13	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	बालोदा	परसाही	संरक्षित वन	109	1331.735	0.5	0.067
14			सक्ति	मसनिया	संरक्षित वन	11	183.762	0.5	0.009
15			सक्ति	मसनिया	संरक्षित वन	23	1162.226	0.5	0.058
16			सक्ति	देवरी	संरक्षित वन	1	561.321	0.5	0.028
17			सक्ति	देवरी	संरक्षित वन	2	1738.166	0.5	0.087
संरक्षित वन भूमि का योग							10349.813	0.5	0.519
18	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	बालोदा	पकरिया	नारंगी वन	148	877.672	0.5	0.044
19			बालोदा	पकरिया	नारंगी वन	150	447.89	0.5	0.022
20			बालोदा	पकरिया	नारंगी वन	158	1045.543	0.5	0.052
21			बालोदा	अकलतरा	नारंगी वन	155	618.592	0.5	0.031
22			बालोदा	कटनई	नारंगी वन	141	1059.118	0.5	0.053
23			बालोदा	अमलीपाली	नारंगी वन	143	895.174	0.5	0.045
24			बालोदा	अमलीपाली	नारंगी वन	159	2704.098	0.5	0.135
25			बालोदा	अमलीपाली	नारंगी वन	160	568.572	0.5	0.028
26			सक्ति	रैनखोल	नारंगी वन	162	1786.223	0.5	0.089
27			सक्ति	नगरदा	नारंगी वन	165	437.423	0.5	0.022
28			सक्ति	सोनगुडा	नारंगी वन	163	1759.435	0.5	0.088
29			सक्ति	नगरदा	नारंगी वन	166	1987.632	0.5	0.099
नारंगी वन भूमि का योग							14187.372	0.5	0.708
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरा	राजस्व वन	2183	267.788	0.5	0.013
2			अकलतरा	सोन	राजस्व वन	239/1	57.063	0.5	0.003
3			अकलतरा	सोन	राजस्व वन	194	72.595	0.5	0.004
4			अकलतरा	पड़रिया	राजस्व वन	465/1	1190.193	0.5	0.06
5			अकलतरा	करहीडीह	राजस्व वन	3	39.142	0.5	0.002
6			अकलतरा	करहीडीह	राजस्व वन	1/1	539.339	0.5	0.027
7			अकलतरा	बूचीहरदी	राजस्व वन	176/1	129.451	0.5	0.006
राजस्व वन भूमि का योग							2295.571	0.5	0.115
कुल योग							33690.369 (33.690 K.M.)	0.5	1.685

उक्त 33.690 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 1.685 हे. वन भूमि (आरक्षित वन 0.343 हे. संरक्षित वन भूमि 0.519 हे. नारंगी वन 0.708 एवं राजस्व वन भूमि 0.115 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा ।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को प्रेषित करेंगे ।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को निवेदन करेंगे ।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,


(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/11/2020

पृष्ठांकमाक/एफ-5-29/2020/10-2

प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्र), भारत सरकार,पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग.।
 - 3.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)।
 - 4.वनमंडलाधिकारी, जाजगीर-चांपा वनमंडल (छ.ग.)।
 - 5.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

9/c